संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
Fax: (0755) 2572468, E-mail: dagit@mp.gov.in

क्र./IT-3/SSP-Budget/2014–15/497 भोपाल, दिनांक 7/08/2014

प्रति,

1 संयुक्त संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
संभाग .... (समस्त)

2 उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
जिला .... (समस्त)

3 प्राचार्य,
कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
जिला ....(समस्त)

4 अनुविभागीय कृषि अधिकारी,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
.... (समस्त)

5 सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
.... (समस्त)

6 सहायक रसायनज्ञ
उर्वरक/बीज/कीटनाशक गुध नियंत्रण प्रयोगशाला
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
.... (समस्त)

7 सहायक मिट्टी परीक्षण/मृदा सर्वेक्षण अधिकारी
मिट्टी परीक्षण/मृदा सर्वेक्षण प्रयोगशाला
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
.... (समस्त)

विषयः सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना वर्ष 2014–15 अंतर्गत त्रैमासवार लक्ष्य/बजट आवंटन बाबत्।

विषयान्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना अंतर्गत लक्ष्य/बजट का आवंटन सभी कार्यालयों को संलग्न परिशिष्ठ–1 अनुसार किया जा रहा है। राशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु निम्न दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से किया जावें ।

विभिन्न कार्यालयों को निम्नानुसार मान से प्रति कार्यालय प्रति त्रैमास राशि का आवंटन किया जा रहा है।

				इकाई लाख रू.	
त्रैमास	इकाई	संयुक्त संचालक कार्या.	उप संचालक कार्या. + विकास खण्ड (प्रति कार्या. के मान से)	कृषि विस्तार एव्र प्रशिक्षण केन्द्र	अन्य कार्यालय
द्वितीय त्रैमास	22-008	0.09	0.09	0.09	0.09
	24-002 (Farmer Trg.)	0	0	0.375	0
	24-002 (Staff Trg.)	0	0	1.125	0
	31-004	0	0.40	0	0
	33-002	0.02	0.02	0.02	0.02
तृतीय त्रैमास	22-008	0.125	0.125	0.125	0.125
चुतर्थ त्रैमास	22-008	0.16	0.16	0.16	0.16

1. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना (13–8808) अंतर्गत इकाई 22–008 (अन्य आकस्मिक व्यय) :–**

इकाई 22–008 में प्रदाय की गयी राशि का उपयोग निम्न प्रयोजन हेतु किया जा सकता है ।

- कनेक्टीविटी,
- कार्ट्रिज, पेनड्राईव/हार्ड डिस्क आदि स्टोरेज एवं अन्य सहायक सामग्री सामग्री
- कम्प्यूटर एवं अन्य सहायक उपकरणों के संधारण एवं मरम्मत
- कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी/ई–गवर्नेन्स के कार्यों के बेहतर संपादन हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं
- पेपर लेस कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्यालय में स्केनर होना आवश्यक है, अतः जिन कार्यालयों में स्केनर नहीं है वे स्केनर लेवें।
- समस्त राजपत्रित अधिकारी अपने डिजिटाईज्ड हस्ताक्षर अधिकृत संस्था से तैयार करावें।

2. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना (13–8808) अंतर्गत इकाई 24–002 (प्रशिक्षण) :–**

प्राचार्य, कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को इकाई 24–002 (प्रशिक्षण) अंतर्गत तीन दिवसीय स्टाफ प्रशिक्षण हेतु राशि रू.1.12 लाख प्रति प्रशिक्षण (रू.0.015 लाख प्रति व्यक्ति) एवं दो विदसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु राशि रू.0.375 लाख प्रति प्रशिक्षण (रू.0.0075 लाख प्रति व्यक्ति) के मान से संलग्न परिशिष्ठ–1 अनुसार बजट प्रदाय किया जा रहा है । एन.आई.सी./क्रिस्प/सेडमेप/मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/अन्य महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षक द्वारा ही स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें ।

3. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना (13–8808) अंतर्गत इकाई 31–004 (व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगी) :–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनाओं को स्थानीय स्तर पर अनुश्रवण करने हेतु 10 जिला मुख्यालयों पर वेबसाईट का निर्माण कराया गया है। जिन जिलों में वर्ष 2013–14 में वेबसाईट का निर्माण हो चुका है, उन जिलों को छोड़कर शेष 41 जिलों में उप संचालक कृषि द्वारा स्थानीय वेबसाईट का निर्माण कराये जाने हेतु अधिकतम 0.40 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। इस हेतु प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें एवं अनुमोदन उपरांत ही कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। प्रशिक्षण की विषय वस्तु संचालनालय स्तर पर निर्धारित अनुसार रखी जावे ।

4. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना (13–8808) अंतर्गत इकाई 33–002 (मेन्टेनेन्स कार्य):–**

कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण के रख–रखाव (AMC, आदि) हेतु व्यय किया जा सकता है ।

समस्त घटकों में कार्यालय प्रमुख के वित्तीय अधिकारों की सीमा में कार्य किये जावें। किसी भी प्रकार की सामग्री/सेवाऐं लेने हेतु राशि व्यय करते वक्त क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे। प्रदत्त राशि का शत–प्रतिशत व्यय संबंधित त्रैमास में ही पूर्ण कर संचालनालयीन आई.टी. शाखा को मासिक प्रगति से अवगत करावें। किसी भी प्रकार का समपर्ण मान्य नहीं होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

क्र. / IT-3 / SSP-Budget / 2014—15 / 4118 भोपाल, दिनांक 07 / 08 / 2014

प्रतिलिपि :—

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कि.क. तथा कृ.वि., विकास खंड............... जिला...................म.प्र.।

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल